

राजस्थान सरकार  
प्रारंभिक शिक्षा विभाग

क्रमांक : प. 5(18)प्राशि / 2017

जयपुर दिनांक: 16/09/2018

1. आयुक्त एवं शासन सचिव, पंचायती राज विभाग।
2. आयुक्त, स्कूल शिक्षा एवं राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद सह विशिष्ट शासन सचिव, स्कूल शिक्षा जयपुर।
3. निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा एवं पराज (प्राशि) राज0 बीकानेर।
4. राज्य परियोजना निदेशक समग्र शिक्षा अभियान एवं अतिरिक्त आयुक्त राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद।
5. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, समस्त।

विषय: राजस्थान तृतीय श्रेणी प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापक सीधी भर्ती, 2018 के माध्यम से शिक्षक लेवल -2 (NON TSP AREA) एवं (TSP AREA) विभिन्न विषयों के नव चयनित अभ्यर्थियों के नियुक्ति/पदस्थापन हेतु काउंसलिंग कैंप (परामर्श शिविर) का कलैण्डर संशोधन के संबंध में।


उपर्युक्त विषयान्तर्गत इस विभाग के समसंख्यक पत्र दिनांक 04.09.2018 द्वारा राजस्थान प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापक सीधी भर्ती, 2018 के माध्यम से लेवल-2 (टीएसपी एवं नोन टीएसपी) के नवचयनित अभ्यर्थियों के प्रथम नियुक्ति एवं पदस्थापन हेतु काउंसलिंग कलैण्डर जारी किया गया है। उक्त कलैण्डर में निम्नानुसार आंशिक संशोधन किया गया है—

क्र.सं.	विवरण	विषय	दिनांक
1	31.1.2017 एवं 20.06.2018 को जारी विभागीय दिशा-निर्देशों के अनुसार शाला दर्शन पोर्टल पर जिले की लॉगइन पर उपलब्ध अभ्यर्थियों की संख्या के अनुसार काउंसलिंग हेतु रिक्त पदों को अपलोड करना।	गणित/विज्ञान	18.09.2018
		सामाजिक अध्ययन	19.09.2018
		हिन्दी एवं तृतीय भाषा	21.09.2018
		अंग्रेजी	23.09.2018
2	31.1.2017 एवं 20.06.2018 को जारी विभागीय दिशा-निर्देशों के अनुसार काउंसलिंग के लिए रिक्त पदों एवं अभ्यर्थियों की वरीयता सूची का प्रकाशन किया जाना।	गणित/विज्ञान	18.09.2018
		सामाजिक अध्ययन	19.09.2018
		हिन्दी एवं तृतीय भाषा	21.09.2018
		अंग्रेजी	23.09.2018
3	31.1.2017 एवं 20.06.2018 को जारी विभागीय दिशा-निर्देशों के अनुसार काउंसलिंग कैंपों (परामर्श शिविर) का आयोजन।	गणित/विज्ञान	19.09.2018
		सामाजिक अध्ययन	20.09.2018
		हिन्दी एवं तृतीय भाषा	22.09.2018
		अंग्रेजी	24.09.2018 से 25.09.2018
4	31.1.2017 एवं 20.06.2018 को जारी विभागीय दिशा-निर्देशों के अनुसार जिला स्थापना समिति से अनुमोदन उपरांत नियुक्ति/पदस्थापन आदेश जारी करना	गणित/विज्ञान	28.09.2018
		सामाजिक अध्ययन	
		हिन्दी एवं तृतीय भाषा	
		अंग्रेजी	

नोट:- तृतीय श्रेणी अध्यापक (विशेष शिक्षा) लेवल-2 की काउंसलिंग संबंधित विषय के तृतीय श्रेणी अध्यापक लेवल-2 (सामान्य शिक्षा-विषयवार) से पूर्व उसी तिथि को आयोजित की जावेगी।

उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करावें।

भवदीय,




(संजय कुमार)

शासन उप सचिव  
प्राशि एवं परांज (प्राशि)

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदया।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
3. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
4. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग।
5. निजी सचिव, विशिष्ट शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग।
6. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
7. जिला कलेक्टर।
8. उपनिदेशक, माध्यमिक/प्रारंभिक शिक्षा,
9. जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा,
10. सम्बन्धित विकास अधिकारी जिला
11. रक्षित पत्रावली।



शासन उप सचिव